एड्स रोगियों तथा एच०आई वी० संक्रमित रोगियों की देखभाल करने के लिए तेरह संस्थाओं को निश्चित और सुदृढ़ किया गया है।

इन संस्थाओं के नाम हैं :--

1. के०जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ।
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
3. एस०एम०एस० मेडिकल कालेज, जयपुर।
4. शेरे-कश्मीर, आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर।
5. त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम।
6. उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद।
7. कलकत्ता मेडिकल कालेज, कलकत्ता।
8. एस०सी०बी० मेडिकल कालेज, कटक।
9. मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास।
10. जे०जे० मेडिकल कालेज, बम्बई।
11. जे०एन० अस्पताल, इम्फाल, मणिपुर।
12. मेडिकल कालेज, बंगलौर।
13. गोवा मेडिकल कालेज, गोवा।

केवल एड्स रोग के पूर्ण रूप से विकसित रोगियों को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। एच० आई०वी० से संक्रमित सभी रोगियों को अंतरंग उपचार की जरूरत नहीं होती। जो भिन्न-भिन्न तरह की शिकायतें लेकर बहिरंग रोगी विभाग में आने वाले रोगियों को लाक्षणिक उपचार प्रदान किया जा रहा है।

उपर्युक्त तेरह संस्थाओं की एड्स यूनिट के लिए सामग्री और उपकरण खरीदने हेतु धन पहले ही जारी किया जा चुका है।

(ग) एड्स रोगियों की देखभाल से संबंधित संकाय, रेजीडेंटों, नर्सों प्रयोगशाला कर्मचारियों को कारगर शिक्षा देने के लिए शिक्षण कार्यक्रम देश के इन सभी तेरह मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में तेजी से शुरू किए जा चुके हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, के एक वरिष्ठ संकाय सदस्य और एक वरिष्ठ नर्स को एड्स रोगियों की देखभाल में प्रशिक्षित करने और अपने लिए यह जानकारी हासिल करने के लिए कि विदेश में उन्नत केन्द्रों मे किस प्रकार विभिन्न प्रक्रियायें अपनाई गई हैं, विदेश भेजा गया था। प्रशिक्षण पूरा कर लेने के पश्चात इन कर्मचारियों ने प्रभावशाली शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जिसके अधीन संकाय सदस्यों, वरिष्ठ रेजिडेन्टों तथा नर्सों को बड़ी संख्या में एड्स रोगियों की देखभाल करने संबंधी सारी प्रक्रियाओं और तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है।

(घ) भारत सरकार ने एड्स को रोकने के लिए मध्यावधि योजना तैयार की गई है। इस मध्यावधि योजना में देश के निर्धारित मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में एड्स संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए वर्तमान सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया है। इन सुविधाओं के विस्तार में निम्नलिखित शामिल हैं :--

–एच०आई०वी० संक्रमण वाले रोगियों को क्लीनिकल परिचर्या प्रदान करना।

– रोगियों तथा उनके पति/पत्नियों/संबंधियों को सलाह देना।

– बहिरंग रोगियों को निरन्तर चिकित्सा परिचर्या प्रदान करना।

– क्लीनिकल प्रोफाइल, एमूनोलाजीकल प्रोफाइल, अवसरवादी संक्रमण तथा एच० आई० वी० संक्रमण के अन्य प्रमाणों संबंधी आंकड़े एकत्र करना।

– एच०आई०वी० रोगियों की देखभाल में चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान करना।

वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों की उड़ानें पुनः आरंभ करना

1415. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वेस्टलैंड हैलीकाप्टरों की उड़ानों को पुनः आरंभ करने का

निर्णय लिया है; यदि हां, तो कब तक और क्या इसी समय में इन हैलीकाप्टरों में कोई तकनीकी सुधार किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि जुलाई, 1990 के अंतिम सप्ताह में वेस्टलैंड हैलीकाप्टरों की परीक्षण उड़ाने कराई गई थीं।

(ग) क्या यह भी सच है कि इन परीक्षण उड़ानों पर जाने से कुछ पायलटों ने इंकार कर दिया था; और

(घ) क्या इन पायलटों की आपत्तियों पर कोई विचार किया गया था; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) सरकार ने प्रतिबंधित शर्तों के अधीन और महानिदेशक, नागर विमानन द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के कड़े अनुपालन के तहत वेस्टलैंड हैलीकाप्टरों को उडाने की अनुमति दे दी है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं है।

Assessment of amounts on Betamethasone

1416. DR. RATNAKAR PANDEY : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether the amount assessed against M/s. Glaxo by the special team was in respect of Betamethasone and its formulations;

(b) whether the amount has been reassessed after review;

(c) if so, what is the amount assessed after review and upto what period;

(d) what is the difference in assessment between the earlier amount and amount after review;

(e) whether it is a fact that convenor of the team has explained the reasons for the difference; and

(f) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY) : (a) to (d) The amount due against M/s. Glaxo India Limited in respect of Betamethasone and its formulations was not assessed by the Special Team but by the Department and the Principles followed by the Special Team were followed in this case also. After recent review, a tentative amount of Rs. 66.35 crores has been assessed and communicated to the company upto 25th August, 1987, as against the tentative amount of Rs. 37 crores communicated to them earlier.

(e) and (f) Do not arise in view of the reply to parts (a) to (d) above.

Recovery of overcharged amount

1417. SHRI SEKAL UTSAHI: Will the Mintster of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1321 given in the Rajya Sabha on 21st May, 1990 and state:

(a) what are the details of cases where scrutiny of the tentatively assessed amounts has been completed;

(b) what are the revised liabilities against each and what was the earlier liabilities and upto what period;

(c) what are the details of other cases where scrutiny is still to be completed and by when the same would be completed;

(d) whether it is a fact that all the companies whose review has been completed have refuesed to deposit the amount and have made representations; and